न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–32/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/32)

नजीर मोहम्मद (नजीर खां) पुत्र श्री अलावक्श उर्फ मदारवक्श (मृतक) जरिए वारिसानः–

1. मोहम्मद सगीर अहमद पुत्र नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी काजियों की ढाणी, सीपुरा ग्राम साखून तहसील व जिला दूदू हाल निवासी 1/653, हमिल्टन रोड, चांदनी चौक, उत्तरी दिल्ली।
2. वशीर अहमद पुत्र नजीर मोहम्मद (मृतक) जरिए वारिसानः–
   2/1 मोहम्मद शकील पुत्र वशीर अहमद
3. मोहम्मद शब्बीर पुत्र नजीर मोहम्मद (मृतक) जरिए वारिसानः–
   3/1 जमीर अहमद पुत्र मोहम्मद शब्बीर
   3/2 हिफजूर रहमान पुत्र मोहम्मद शब्बीर
   3/3 फुरकान पुत्र मोहम्मद शब्बीर
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी काजियों की ढाणी, सीपुरा ग्राम साखून तहसील व जिला दूदू हाल निवासी 1/653 नाल बंधन छोटा बाजार, हमिल्टन रोड, कश्मीरी गेट, उत्तरी दिल्ली।
4. सायरा बेगम पुत्री नजीर मोहम्मद पत्नी सलाउद्दीन जाति मुसलमान निवासी काजियों की ढाणी, सीपुरा ग्राम साखून तहसील व जिला दूदू हाल निवासी 852 बिस्यातियों का मौहल्ला, रामगंज बाजार, जयपुर।
5. आयशा बेगम पुत्री नजीर मौहम्मद पत्नी अब्दुल जलील अंसारी जाति मुसलमान निवासी काजियों की ढाणी, सीपुरा ग्राम साखून तहसील व जिला दूद हाल निवासी मोमिम मौहल्ला गढ के पास भिनाय तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. निजामुद्दीन पुत्र स्व0 श्री अलाद्दीन
2. ईमामुद्दीन पुत्र स्व0 श्री अलाद्दीन
   सभी कौम मुसलमान निवासी ग्राम साखून तहसील व जिला दूदू।
3. गफूर खा पुत्र मदार बक्ष उर्फ अल्ला बक्ष (मृतक) जरिए वारिसान–:
   3/1 खातून पत्नी गफूर खां
   3/2 अब्दुल सतार पुत्र गफूर खां
   3/3 अजीज पुत्र गफूर खां
   3/4 मजीद पुत्र गफूर खां
   3/5 इदायत पुत्र गफूर खां
   3/6 मुन्ना भाई पुत्र गफूर खां
   3/7 मैमूना पुत्री गफूर खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी काजियों की ढाणी, सीपुरा ग्राम साखून तहसील व जिला दूदू हाल निवासी जूनिबाने मिल्स तालुका चाली, कलोल जिला गांधीनगर (गुजरात)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दूदू।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, राजस्व वाद संख्या 62/2008 बउनवानी मोईनुद्दीन वगैरह बनाम नजीर मौहम्मद वगैरह।

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री राघवेन्द्र सिंह रेस्पोडेंट संख्या 01, 02
3. श्री गुमान कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/7.
4. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04

निर्णय

दिनांकः—30.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने एक वाद संख्या पुराना 271/2005 अंतर्गत धारा 88 सपठित धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स एंव शेष रेस्पोडेंटस प्रस्तुत कर कथन किया। जिस बाबत वाद पेश होने पर उक्त वाद गुण—अवगुण के आधार पर दिनांक 7.3.2007 को खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के यहां पर प्रस्तुत की गई। वाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी दूदू के निर्णय को खारिज करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय करने के आदेश देकर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली भिजवाई गई, जिस पर प्रकरण को पुनः दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 19.12.2007 को वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उपस्थित रहे, दिनांक 1.4.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर नहीं रहने से अखबार दैनिक भास्कर में साया कराने के लिए तहरीर जारी की गई। दिनांक 18.6.2008 को अखबार की प्रति पेश की, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद अखबार में साया के उपरांत भी हाजिर नहीं रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, तथा इनके बुजुर्ग गदारबक्श उर्फ अलाबक्श खां थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान नजीर, अलाद्दीन, गफूर व पीर मोहम्मद थे प्रतिवादी नजीर दिनांक 18.4.1960 को वादीगण के पूर्वज अलादीन के पास आया और अपनी कृषि भूमि का हिस्सा अधिकार वादीगण के पिता स्व0 अलादीन को देने का प्रस्ताव रखा तथा बदले में 18000/— रूपए की मांग रखी जिस वादीगण के पिता ने देना स्वीकार कर लिया, जिस पर उक्त लिखावट एक बही में लिखी जाकर बतौर साक्ष्य गवाहान के हस्ताक्षर

राजस्व अपील ... अजमेर

Scanned with CamScanner

करवाकर उक्त रूपए दिए तथा नजीर ने उक्त जमीन को वादीगण के पिता को संभला दी, उसके बाद नजीर गांव छोडकर चला गया, जिससे अब तक न तो नजीर एवं उसके वारिसान कोई साखून में नहीं आए ओर नहीं उन्होंने कभी काश्त की प्रतिवादी नजीर की अखबार में भी साया करवाया गया, किंतु वह हाजिर अदालत नहीं आया, इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा अपने पिता के समय ही वर्ष 1960 से लेकर आज तक चला आ रहा है, इस प्रकार वादीगण का कब्जा उक्त आराजीयात पर मुखालफाना हो चुका है जिससे वादीगण सपठित धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, प्रतिवादी या इनका कोई भी वारिसान उक्त जमीन पर कब्जा संभलाने के बाद से कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है, अतः वादीगण को मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद–पत्र को एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 द्वारा डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त करने अपील जरिए प्राथमिक आपत्ति बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.7.2008 के विरूद्ध पेश कि गई है जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं है इस कारण धारा 96 सी0पी0सी के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त अपील चलने योग्य नहीं है इस कारण उक्त उनवानी प्रकरण को इसी स्तर पर प्राथमिक आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलांट मृतक नजीर के वारीसान है, साबित नहीं है अपीलांट के आवास के पते ग्राम साखून के नहीं है बिना उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना धारा 96 सी0पी0सी0 के आवेदन के उक्त अपील संधारणीय नहीं है, इस कारण उक्त उनवानी प्रकरण को इसी स्तर पर प्राथमिक आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय द्वारा सहमती के आधार पर वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है इस कारण उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज करना न्यायोचित है। अतः प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए उक्त उनवानी प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 1977 आर0आर0डी0 पेज 310, 2013 आर0आर0टी0 पेज 388, 2002 आर0आर0टी0 पेज 891, 2002 आर0एल0डब्लयु0 पेज 571, 2020 आर0वे0जे0 सु0को0 पेज 569, 2020 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 4038, 2017 आर0आर0टी0 पेज 1090, 2017 आर0वे0जे0 सु0को0 पेज 422, 1999 ए0आई0आर0 बोम्बे पेज 46।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्राथमिक आपत्ति बाबत निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष विवादित भूमि बाबत् एक अन्य वाद अब्दुल अजीज पुत्र गफुर खॉ व अन्य बनाम इमागुद्दीन पुत्र अलादीन व अन्य विचाराधीन है, जिसमें मोहम्मद सगीर अहमद पुत्र नजीर मोहम्मद, मोहम्मद शकील पुत्र बशीर अहमद पौत्र नजीर मोहम्मद, जमीर अहमद, हिफजूर रहमान, फुरकान पुत्रान मोहम्मद शब्बीर पौत्र नजीर मोहम्मद, सायरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बेगम, आयशा बेगम पुत्रियॉ नजीर मोहम्मद को पक्षकार कायम किया गया है तथा वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद–पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित बहस में मूल खातेदार मदारबक्श उर्फ अलाबक्ष का सजरा अंकित किया है। नजीर के वारिसान के सम्बन्ध में हमारे द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आधारकार्ड की प्रतिया भी पेश की जा रही है। अतः अपीलांटस ही मदारबक्ष उर्फ अलाबक्ष के विधिक वारिसान है इसलिए अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अनुरोध है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावें।

6. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त करने अपील जरिये प्राथमिक आपत्ति बावत् पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अवालोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद–पत्र सख्या 271/2005 में मदारबक्ष उर्फ अलाबक्ष को सजरा पेश किया गया है जिसमें मदारबक्ष उर्फ अलाबक्ष के कुल चार जाइन्दा संताने अंकित की गई है तथा नजीरबक्ष, अलाबक्ष की जाईन्दा है, जो वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है तथा अपील में सलंग्न शपथ–पत्र में भी मदारबक्ष उर्फ अलाबक्ष के विधिक वारिसान का अंकन है। उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष विवादित भूमि बावत् एक अन्य वाद अब्दुल अजीज पुत्र गफुर खॉ व अन्य बनाम इमामुद्दीन पुत्र अलादीन व अन्य विचाराधीन है, जिसमें मोहम्मद सगीर अहमद पुत्र नजीर मोहम्मद, मोहम्मद शकील पुत्र बशीर अहमद पौत्र नजीर मोहम्मद, जमीर अहमद, हिफजूर रहमान, फुरकान पुत्रान मोहम्मद शब्बीर पौत्र नजीर मोहम्मद, सायरा बेगम, आयशा बेगम पुत्रियॉ नजीर मोहम्मद को पक्षकार कायम किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र, लिखित बहस एवं शपथ–पत्र एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार अपीलांटस ही मूल खातेदार मदारबक्ष उर्फ अलाबक्ष के विधिक वारिसान है। मोहम्मद सगीर अहमद पुत्र नजीर मोहम्मद, मोहम्मद शकील पुत्र बशीर अहमद पौत्र नजीर मोहम्मद, जमीर अहमद, हिफजूर रहमान, फुरकान पुत्रान मोहम्मद शब्बीर पौत्र नजीर मोहम्मद, सायरा बेगम, आयशा बेगम पुत्रियॉ नजीर मोहम्मद ने एक शपथ–पत्र पेश किया है, जिसमें नजीर मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 21.01.1955 को होना बताया है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलांटस नजीर मौहम्मद के वारिसान नहीं है। अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. कानूनी रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 से पीड़ित पक्षकार है। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्राथमिक आपत्ति बावत् यह भी अंकन किया है कि अपीलांटस बिना उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन के उक्त अपील संधारणीय नहीं है। उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र तो सक्षम न्यायालय ही तय करते है। यदि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र मिथ्या एवं कूटरचित है तो रेस्पोडेन्टस सक्षम न्यायालय मे उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त करने अपील जरिये प्राथमिक आपत्ति बावत् सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त करने अपील जरिये प्राथमिक आपत्ति बावत् खारिज किया जाता है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अवसर प्रदान किए बिना अप्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं कूटरचित कथनों एवं मिथ्या शपथ–पत्रों के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं हुई। जब दिनांक 20.12.2023 को प्रार्थीगण अपने पैतृक गांव साखून अपने पिता का विरासती नामांतरकरण दर्ज करवाने आए तो पटवारी से मिले तब जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज 1/4 हक हिस्से की समस्त आराजीयात को आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2008 की पालना में डिक्रीदार के नाम जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 23.8.2018 को दर्ज कर दिया गया है जिस पर प्रार्थीगण ने समस्त प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 25.1.2024 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 29.1.2024 को उक्त नकल प्रदान की गई तत्पश्चात कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवायी गयी एवं आज जानकारी से अंदर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण मे हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर उपरोक्त कारणों से अपील प्रस्तुतीकरण में लगा समय क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किय जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में जो अनुतोष वास्ते उदघोषणा खातेदारी चाहा है वह मुखालफाने के आधार पर मांगा है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होकर वाद खारिज योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक न्याय सिद्धांतो एवं प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्तनीय है। वादीगण ने स्वयं अपने वाद पत्र में अपीलांट्स के हक हिस्से की आराजी को केवल एक सादा बही की लिखावट के तहत विक्रय किया जाना बताया है जबकि कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जब तक किसी की संपत्ति का पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक उक्त संपत्ति पर क्रेता का कोई विधिक हक, अधिकार स्वत्व निहित नहीं हो सकता। उक्त कानूनी बिंदु को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक सादा बही लिखावट को खातेदारी घोषणा का आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है। पत्रावली पर जो बही की लिखावट वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त लिखावट अपंजीकृत है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात का कहीं भी हवाला नहीं है ना ही अपीलांट्स के पिता नजीर पुत्र मोहम्मद के हस्ताक्षर है तथा जो गवाहान उक्त लिखतम में दर्शाए गए हैं वे अशिक्षित हैं जिनकी साक्ष्य दौराने वाद भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई तथा जिन गवाहों को प्रस्तुत किया गया उनकी उम्र तथा उक्त तथाकथित लिखतम की दिनांक की तुलना से सिद्ध होता है कि उक्त गवाहान लिखतम की दिनांक को नाबालिग थे अथवा जिनमें से एक का जन्म ही लिखतम के पश्चात हुआ है। इस प्रकार साधारण एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2008 पारित की है वह अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लिखित बहस में गदारबक्ष उर्फ अल्लाबक्ष जो कि अपीलांट्स के दादा है का सजरा अंकित किया है, से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसमें अपीलांट्स का 1/4 हक हिस्सा निहित है। जब तक नजीर मोहम्मद के विधिक वारिसानों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तब तक अपीलांट्स के विधिक अधिकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पर उक्त निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य एंव निराधार है तथा उक्त विधि विरूद्ध निर्णय से रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 2 को वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार के हक, स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2008 प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत एवं अपीलांट्स को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है। नजीर मोहम्मद पुत्र अल्लावक्ष उर्फ मदारवक्ष जो कि अपीलांट्स के पिता हैं का स्वर्गवास दिनांक 25.1.1955 को ही हो चुका था जिससे उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त तहरीर वही लिखावट दिनांक 18.4.1960 पूर्ण रूप से मिथ्या है जिससे जब तक उक्त लिखावट को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर उक्त लिखावट की विधिक मान्यता तय नहीं हो जाती तब तक उक्त लिखावट के आधार पर वादीगण/रेस्पोडेंट को किसी भी प्रकार के वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर केम्प दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.2007 में अपील संख्या 5/2007 को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ लौटाया था कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीवार निर्णय पारित करें तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5 (गफूर पुत्र मदार बक्ष उर्फ अल्लावक्ष के वारिसान) को पुनः नोटिस जारी किए जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ना ही प्रकरण में किसी प्रकार की तनकीयात कायम की गई तथा ना ही प्रकरण तनकीवार रूप से निर्णित किया गया तथा न ही गफूर के सभी विधिक वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.7.2008 अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना किए बिना पारित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी से संबंधित तथ्यों की जांच कर एवं कानूनी विंदुओं का अवलोकन कर उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 7.3.2007 को वाद संख्या 271/2005 निरस्त फरमा दिया गया था। उक्त निर्णय में जिन विंदुओं को निर्णित किया जा चुका था उन विंदुओं पर पुनः विवेचन कर नए सिरे से विधि विरूद्ध एवं अधिनियम में अंकित विधिक सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2008 की पालना में रेस्पोडेंट द्वारा जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 23.8.2018 को राजस्व रिकार्ड में नजीर मोहम्मद पुत्र अल्लावक्ष उर्फ मदारवक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त निर्णय व डिक्री पूर्ण रूप से अविधिक एवं न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर पारित की गई है जिससे रेस्पोडेंटस को उक्त नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 23.8.2018 से वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के विधिक हक व अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं होते हैं। जिससे उक्त नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 23.8.2018 को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2008 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–आर0वी0जे0(5) 1998 पेज 605, आर0आर0टी0 2015(2) पेज 1286, आर0आर0टी0 2003(1) पेज 709, आर0आर0डी0 1993 पेज 411, ए0आई0आर0 2004 एस0सी0 342.

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वर्णित कथन असत्य होकर अस्वीकार है क्योंकि वाद का निर्णय दिनांक 16.07.2008 को ही प्रतिवादीगण कि सहमती के आधार पर होकर निर्णय कि पालना भी हो चुकी है जिसके 15 वर्ष पश्चात अपील पेश कि गई है तथा अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.12.2023 को हल्का पटवारी द्वारा जानकारी होना अंकित किया परंतु हल्का पटवारी का कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया, उस दिवस के राजस्व रेकार्ड अथवा विरासत के इंतकाल कि अर्जी की नकल पेश नहीं की गई इसके अलावा ग्राम आने बाबत कोई टिकट अथवा साक्ष्य पेश नहीं कि गई है तथा तथाकथित जानकारी होने के उपरांत भी प्रत्येक दिवस कि देरी कारण अंकित करना आवश्यक होने के उपरांत भी बिना कारण अंकित किए लगभग दो माह में अपील पेश कि गई जो साबित करती है कि अपीलांट को प्रकरण कि जानकारी हमेशा से रही है तथा मात्र जवाबदाता को ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से उक्त अपील पेश कि गई है नजीर मोहम्मद कि मृत्यु कब हुई अंकित नहीं किया गया मृतक नजीर मोहम्मद के अपीलांट ही वारिसान है साबित नहीं है इस कारण उन्हें अपील लाने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार उक्त कथन समुचित कारण नहीं है मात्र अपील को अंदर मयाद दर्ज करवाने हेतु झूठे कथन अंकित किए गए है। इस प्रकार उक्त आवेदन भारी मियाद बाहर अपील को मयाद में शुमार करने का तरीका है जो चलने योग्य नहीं है। वाद में पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा वाद शपथ–पत्र एवं सहमती के आधार पर स्वीकार किया गया है तथा कब्जा काश्त वादीगण का साबित है इसप्रकार उक्त अपील चलने योग्य नहीं है अपीलकर्ता को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2008 कि आरंभ से ही जानकारी रही है अब मात्र अपीलार्थी एवं अन्य रेस्पोडेंट आपस में साज–बाज होकर न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाहते है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री कि पालना में इंतकाल स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा झूठे कथनों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2017 आर0आर0टी0 पेज 117, 2006 आर0एल0डब्लयु रेवे0 पेज 919, 2016 डी0एन0जे0 पार्ट 01 पेज 201 उच्च न्यायालय, 2010 ए0आई0आर0 सु0को0 पेज 3043, 1999 ए0आई0आर0 राज0 पेज 216, 2011 ऐ0आई0आर0 सु0को0 पेज 1199, 2021 पार्ट 01 डी0एन0जे0 रेवे0 पेज 421, 2018 आर0बी0जे0 पेज 756।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेंट/वादीगण ने वाद विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण आराजी कुल किता 15 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम संपूर्ण साखून व खाता संख्या 94 की आराजी खसरा नम्बर 222/5943 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम हटुपुरा तहसील मौजगावाद वाके ग्राम साखून में स्थित है जिस बाबत वाद पेश होने पर उक्त वाद गुण–अवगुण के आधार पर दिनांक 7.3.2007 को खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहां पर प्रस्तुत की गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय को खारिज करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय करने के आदेश देकर इस न्यायालय को पत्रावली भिजवाई गई जिस पर दिनांक 19.12.2007 को वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उपस्थित रहे, दिनांक 1.4.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर नहीं रहने से अखबार दैनिक भास्कर में साया कराने के लिए तहसीर जारी की गई। दिनांक 18.6.2008 को अखबार की प्रति पेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिससे प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद अखबार में साया के उपरांत भी हाजिर नहीं रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्त है तथा इनके बुजुर्ग मदारबक्श उर्फ अलाबक्श खां थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान नजीर, अलाद्दीन, गफूर व पीर मोहम्मद थे, प्रतिवादी नजीर दिनांक 18.4.1960 को वादीगण के पूर्वज अलाद्दीन के पास आया और अपनी कृषि भूमि का हिस्सा अधिकारवादीगण के पिता स्व. अलाद्दीन को देने का प्रस्ताव रखा तथा बदले में 18000/– रूपए की मांग रखी जिस पर वादीगण के पिता ने देना स्वीकार कर लिया जिस पर उक्त लिखावट एक बही में लिखी जाकर बतौर साक्ष्य गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रूपए दिए तथा नजीर ने उक्त जमीन को वादीगण के पिता को संभला दी, उसके बाद नजीर गांव छोडकर चला गया, जिससे अब तक न तो नजीर एवं उसके वारिसान कोई साखून में नहीं आए ओर नहीं उन्होंने कभी काश्त की प्रतिवादी नजीर की अखबार में भी साया करवाया गया किंतु वह हाजिर अदालत नहीं आया, इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा अपने पिता के समय से ही वर्ष 1960 से लेकर आज तक चला आ रहा है, इस प्रकार वादीगण का कब्जा उक्त आराजीयात पर मुखलफाना हो चुका है जिससे वादीगण सपठित धारा 63(4) रा0का0अधि0 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, प्रतिवादी या इनका कोई भी वारिसान उक्त जमीन पर कब्जा संभलाने के बाद से कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है, वादीगण को मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बहस की लिखावट, साक्ष्य गवाहान के बयानात का अवलोकन करने के पश्चात वादी के वाद को इस आधार पर डिक्री किया कि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता से नजीर मोहम्मद ने 18000/–रूपये प्राप्त कर कब्जा संभला दिया था, जब से वादीगण के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य गवाहान के बयानात एवं बही की लिखावट से पूर्णतया सिद्ध होता है तथा उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त मुखलफाना 12 वर्षों से अधिक होने से वादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–1999 आर0आर0डी0 पेज 109, 2002 आर0आर0टी0 पेज 581, 2007 आर0वी0 जे0 पेज 837, 2009 आर0वी0जे0 पेज 270 उच्च न्यायालय, 2010 आर0आर0टी0 पेज 135, 2003 ए0आई0आर0 सु0को0 पेज 1905, 2010 आर0आर0टी0 पेज 846, 2019 आर0आर0टी0 पेज 1354, 960 ए0आई0आर0 सु0को0 पेज 100, 1983 आर0आर0डी0 पेज 282, 2011 आर0आर0टी0 पेज 26, 2017 आर0वी0जे0 पेज 157 सु0को0, 2020 आर0आर0टी0 पेज 1126, 1972 ए0आई0आर0 राज0 पेज 191।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन अभिभाषक रेस्पोडेन्टस का मुख्य तर्क है कि नजीर सन् 1960 से लापता है जिसकी सुचना अखबार में भी प्रकाशित करवाई गई है अपीलकर्ता द्वारा नजीर के वारिसान होने कि साक्ष्य एवं 1960 से लेकर आज तक ग्राम साखुन के निवासी होने का साबित करने वाले कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये तथा वर्ष 2008 में पारित निर्णय व डिक्री को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2024 में चुनौती प्रदान की गई है जो भी विलम्ब क्षमा आवेदन में इतनी देरी के कारण को स्पष्ट नहीं करती है, जबकि पत्रावली के अवालोकन से यह तथ्य सामने आता है कि रेस्पोडेन्टस स्वयं अपने वाद–पत्र के पैरा संख्या 08 में यह अंकन किया है कि "**प्रतिवादी नजीर खॉ ग्राम साखून छोड़कर सन् 1960 में गया था तब से अब तक नजीर खॉ अथवा उसके वारिसान कोई पता ठिकाना नहीं है**" तथा दिनांक 07.03.2007 को वाद संख्या 271/2005 खारिज किया गया था उसमें भी प्रतिवादी नजीर मोहम्मद (नजीर खॉन) के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी नजीर मोहम्मद के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद–पत्र डिक्री किया गया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांटस के पूर्वज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं रही है। अपील के साथ सलंग्न अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति में भी दिनांक 25.01.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.01.2024 को प्राप्त किया जाना अंकित है। आर.वी.जे.(5) 1998 पेज 605 में लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा सकता है तो अपील को मियाद के बिन्दू पर तय नहीं कर गुणावगुण पर तय किया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्टस स्वयं अपने वाद–पत्र के पैरा संख्या 08 में यह अंकन किया है कि "**प्रतिवादी नजीर खॉ ग्राम साखून छोड़कर सन् 1960 में गया था तब से अब तक नजीर खॉ अथवा उसके वारिसान कोई पता ठिकाना नहीं है**", ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा मियाद के सम्बन्ध में किये गये कथन संतोषप्रद एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दू पर नहीं किया जाकर मेंरिट पर किया जाना उचित समझते है। **अतःप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुयी देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वाद अवलोकन वादीगण/रेस्पोडेंट ने एक वाद संख्या पुराना 271/2005 अंतर्गत धारा 88 सपठित धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स एंव शेष रेस्पोडेंटस प्रस्तुत कर कथन किया। जिस बाबत वाद पेश होने पर उक्त वाद गुण–अवगुण के आधार पर दिनांक 7.3.2007 को खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रकरण में विधिक रूप से सुनवाई की जाकर उक्त अपील को दिनांक 28.03.2007 को स्वीकार की जाकर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाकर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित किया जावें। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.12.2007 को पुनः दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 की तलवी संबंधी कार्यवाहीया अमल में लाई गई तथा दिनांक 01.04.2008 को प्रतिवादि संख्या 01 को तामिली जरिये रजिस्टर्ड एडी नहीं होने के उपरांत अखबार साधा के द्वारा तामीली किये जाने के आदेश किये गये तत्पश्चात दिनांक 18.06.2008 को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वादी के साक्ष्य पेश नहीं करने बाबत इबारत अंकित कर उक्त पत्रावली बाबत दिनांक 23.06.2008 को अंतिम बहस सुनी जाकर तथा दिनांक 16.07.2008 को पुनः बहस सुनी जाकर उक्त अविधिक निर्णय पारित कर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित पूर्व में अपील संख्या 5/2007 में अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 23.08.2007 को स्पष्ट रूप से उक्त पत्रावली बाबत तनकीयात कामय की जाकर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया था जबकि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा दिनांक 18.06.2008 को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त पत्रावली बाबत दावें एवं जवाब दावें के आधार पर तनकीया निर्मित नहीं कर तथा बिना वादीगण तथा स्वतंत्र गवाहों के बयानात के हीं उक्त अविधिक निर्णय पारित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2008 में इस बात का अंकन किया है कि विवादित आराजीयात बाबत पूर्व में अंकित प्रदर्श 1 दिनांक 08.02.2006 बही की लिखावट में वादीगण के पिता से 18000 रूपये नजीर ने प्राप्त किये है तथा उक्त दस्तावेजों को मुख्य आधार बनाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया है उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज बेचान अथवा गिरवीनामा अथवा इकरारनाम अथवा किस श्रेणी का दस्तावेज है इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट के पूर्वज नजीर खा अथवा उनके विधिक वारिसानों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उनके समक्ष लम्बित पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त पत्रावली बिना तनकीयात कायम कर प्राकृतिक न्याय एवं नियमों के विरूद्ध अविधिक निर्णय पारित किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायलाय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2008 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत रूप से तनकीवार पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

30/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner